न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः— डॉ. राकेश कुमार शर्मा आर.ए.एस.

अपील संख्या 106/2018

रतनाराम पुत्र गंगुराम जाति भोपा निवासी गांव गोमावाली तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलांट

बनाम

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व अनूपगढ।—रेस्पोंडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज.भू—राजस्व अधि. 1956

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ
दिनांक 01.02.2008

उपस्थिति—

श्री मनोहरलाल अरोडा अभिभाषक अपीलांट

श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक— 15.7.2019

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ के समक्ष टी.सी. पुख्ता आवंटन हेतु प्रा.पत्र पेश किया। प्रार्थी ने प्रा.पत्र में कथन कि चक कमराना ख.नं. (खाली स्थान) का 35 बीघा अ0क0 रकबा एसीसी घडसाना मु. अनूपगढ द्वारा दिनांक 19.08.82 को टीसी किया गया। जिसका कब्जा प्रार्थी के पास है। अतः निवेदन है कि चक कमराना का ख.नं. (खाली स्थान) 35 बीघा रकबा टी.सी. से पुख्ता आवंटन किया जावे।

   (A) उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ ने कैम्प लूणीया 20 एलएम में दिनांक 01.02.2008 को लगे राजस्व अभियान 2008 शिविर में प्रार्थी का प्रा.पत्र खारिज कर दिया।

   (B) उक्त आदेश से व्यथीत होकर अपीलांट ने यह अपील दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

   (i) विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.02.2008 इनप्रोपर, अनकरेक्ट एवं विधि के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्ती के है। अपीलांट के नाम ख.नं.40 की 35 बीघा बारानी कृषि

राजस्व अपील अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

भूमि वर्ष 1987–88 को अस्थाई आंवटित की गई थी। तत्पश्चात वर्ष 1993 तक नवीनीकरण हुआ। अपीलांट ने अपने नाम से अस्थाई आवंटन का वर्षा होने पर काश्त करता चला आ रहा है। वर्तमान अपीलाधीन आदेश में दर्ज कृषि भूमि पर अपीलांट का कब्जा है। अपीलांट ने राज्य सरकार के निर्देशानुसार अपने नाम से स्थाई आवंटन हेतु प्रा.पत्र अधी. न्यायालय में पेश किया। अधी. न्यायालय ने तहसीलदार से विस्तृत रिपोर्ट लेकर सलाहकार समिति में राजस्व कैम्प 20 एलएम लुणिया में स्थाई आवंटन का प्रा. पत्र गुण दोष पर नहीं जाकर राजनैतिक दबाव में आकर मनमाने तौर पर निरस्त कर दिया। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर , नकल प्राप्त कर दफा 5 मियाद अधि. के प्रा.पत्र सहित यह अपील पेश की है। अपीलांट ने देरी बाबत समुचित कारण प्रा.पत्र में अंकित किये है। अतः निवेदन है कि अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार कर, स्वीकार कर अधी. न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

(ii) विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। इसके अलावा अपीलांट ने यह अपील लगभग 10 वर्ष बाद पेश की है। अपील मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट खारिज की जावे।

3. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट ने अपील मीमों को दोहराया। अपील में निर्णय के आधारों का खण्डन में व अत्याधिक विलंब से प्रस्तुत करने का औचित्य पूर्ण कारण नहीं दिया। अपीलांट टीसी आवंटी था तथा वर्षानुवर्षी नवीनीकरण के अधीन था। वर्ष 1993 के बाद से नवीनीकरण नहीं हुआ। केवल कब्जे के आधार पर अपील पेश की है। निर्णय के 10 वर्ष पश्चात अपील पेश की है मियाद बाहर, निराधार व अनौचित्यपूर्ण होने से निरस्त की जाती है। अधी. न्यायालय का निर्णय दिनांक 01.02.2008 बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15.7.2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)